निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी0एम0 स्वनिधि एवं एन0यू0एल0एम0 की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के परियोजना अधिकारी, सी0एल0टी0सी0 एवं सी0एम0एम0 के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
3. ओ0के0 सिंह, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
4. मौ0 तैय्यब, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
5. डा0 कमल कुमार, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
6. सिमी औमेर, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
7. विवेक श्रीवास्तव, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
8. विनोद कुमार कनौजिया, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
9. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
10. कुनाल कटारिया, अरबन प्लानर, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
11. असजद अलवी, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
12. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त करने एवं समूह गठन की समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न निर्देश दिये गयेः–

(क) स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड

1. गोरखपुर में 11 प्रतिशत प्रगति है, जो कि बहुत कम है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी एक सप्ताह में 100 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड हेतु अर्ह कर दिया जायेगा।
2. गाजियाबाद के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 15 दिवस में 13 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया है तथा 73 का अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त हो गया है, जिसे अपलोड कर दिया गया है, जो पैसा पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं।

   निर्गत निर्देशः–पोर्टल पर अनर्ह परिलक्षित समूहों का परीक्षण कर अर्ह समूहों को तत्काल अपडेट किया जाये।

   (कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा गाजियाबाद)
3. बुलन्दशहर के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 215 का लक्ष्य है। पैसा पोर्टल पर सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के ऑनबोर्ड नहीं होने के कारण दर्शित नहीं हो रहा है, जबकि 250 समूह रिवाल्विंग फण्ड हेतु चिन्हित हैं, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा उक्त बैंको को ऑनबोर्ड किये जाने की कार्यवाही कर दी गयी है तथा मेल जनपद को प्रेषित कर दी गयी है।

   निर्गत निर्देशः–250 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त करने की सम्पूर्ण कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।

   (कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा बुलन्दशहर)

क्रमशः.....2 पर

4. हरदोई में 15 दिवस में एक भी समूह को रिवाल्विंग फण्ड नहीं दिया गया है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी। बैठक में परियोजना अधिकारी एवं सीएमएम बिना सूचना के अनुपस्थित थे, केवल सामुदायिक आयोजक उपस्थित था, परन्तु उसको योजना की कोई भी जानकारी नहीं थी, जिस कारण वह कुछ भी नहीं बता पाये।

निर्गत निर्देशः—सामुदायिक आयोजक को योजना की कोई जानकारी नहीं थी, जिस पर हटाये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित न होने के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी एवं सी0एम0एम0 को कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक इस दिवस का वेतन रोका जाता है।

(कार्यवाही—वित्त नियन्त्रक, सूडा, परियोजना अधिकारी, डूडा हरदोई, सम्बन्धित एसएमएम, सूडा, सीएमएम, डूडा हरदोई)

5. गाजीपुर के सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि 20 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 1 समूह पोर्टल पर अप्रूब्ड कर नोटिंग व प्रमाण पत्र भेज दिया गया है तथा 06 समूह पैसा पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 06 समूह और अर्ह हो जायेगे, इस प्रकार कुल 13 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त कर दिया जायेगा।

निर्गत निर्देशः—अर्ह सभी समूहों को अपडेट करते हुए लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा गाजीपुर)

6. संत कबीर नगर के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एम0आई0एस0 पोर्टल पर 21 है, जबकि पैसा पोर्टल पर 08 ही दर्शित हो रहे हैं।

निर्गत निर्देशः—एम0आई0एस0 पर परिलक्षित 21 समूहों का पुनः परीक्षण कर अपडेट कर दें ताकि पैसा पोर्टल पर परिलक्षित हो सके। साथ ही 08 समूहों के अनुमोदन की नोट शीट एवं प्रमाण पत्र आगामी 02 दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा संत कबीर नगर)

7. सम्भल की परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 150 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 05 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया गया है। 04 पैसा पोर्टल पर परिलक्षित हो रहे हैं तथा 12 अपडेट हो गये हैं, जो 02 दिवस में परिलक्षित होगें। गत वर्ष के 35 समूह चिन्हित किये गये हैं, जिन्हें अपडेट किया जाना है।

निर्गत निर्देशः—पूर्व में गठित अर्ह समूहों को प्रत्येक दशा में पोर्टल पर 10 दिवस में अपडेट कर लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा सम्भल)

8. मुजफ्फरनगर के सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि 140 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 20 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जा चुका है। पैसा पोर्टल पर 09 परिलक्षित हो रहे हैं तथा 32 चिन्हित हैं।

निर्गत निर्देशः—अवशेष समूहों को पोर्टल पर अपडेट कर इसी माह लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—शहर मिशन प्रबन्धक, डूडा मुजफ्फरनगर)

क्रमशः.....3 पर

9. मऊ में विगत 15 दिवस में शून्य प्रगति है। 65 लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 03 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया है। सहायक परियोजना अधिकारी से लक्ष्य पूर्ण किये जाने की रणनीति एवं चिन्हित समूहों की संख्या आदि के सम्बन्ध में पूछे जाने पर सहायक परियोजना अधिकारी अनभिज्ञ पायी गयी। कुछ भी बता नहीं पायी।

निर्गत निर्देशः—03 दिवस में कार्यवृत्त के आधार पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, जिसमें लक्ष्य पूर्ण करने की रणनीति का भी स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही पैसा पोर्टल पर दर्शित हो रहे 03 समूहों पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अवगत कराए।

(कार्यवाही–सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा मऊ)

(ख) स्वयं सहायता समूहों का गठन

1. शाहजहांपुर में 135 का लक्ष्य है, जबकि अद्यतन प्रगति 24 है। विगत 15 दिवस की प्रगति शून्य है, जिसके सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उड़ान कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 समूहों का गठन करा दिया गया है, जिसके खाते शीघ्र खुलवा दिये जायेगें, शेष गठन की प्रक्रिया में है।

निर्गत निर्देशः—अभियान चलाकर समूह गठन एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने की कार्यवाही माह दिसम्बर, 2021 तक करते हुए लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा शाहजहांपुर)

2. झांसी में 210 लक्ष्य के सापेक्ष 74 समूह गठित हैं। विगत 15 दिवस की प्रगति शून्य है, जिसके सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 95 समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें से 67 बैंकों में लम्बित है तथा 28 का खाता खुल गया है।

निर्गत निर्देशः—गठित 67 समूहों का खाता 05 दिवस में खुलवाकर सभी 95 समूहों की एन्ट्री एमआईएस पर पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा झांसी)

3. अयोध्या में 65 लक्ष्य के सापेक्ष 24 का गठन हुआ है। विगत 15 दिवसों में प्रगति शून्य है, जिसके सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 05 बैंकों में लम्बित है तथा शेष गठन की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. हरदोई में परियोजना अधिकारी द्वारा बिना अनुमति बैठक से अनुपस्थित रहने पर कार्यवृत्त के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसमें समूह गठन एवं समूहों को रिवाल्विंग फण्ड के लक्ष्य पूर्ण करने की रणनीति का भी स्पष्ट उल्लेख करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा हरदोई)

5. मऊ में समूह गठन के लक्ष्य 85 के सापेक्ष 12 की प्रगति है, जो काफी कम है। 04 समूहों के खाते बैंक में लम्बित के सम्बन्ध में सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया। सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया।

निर्गत निर्देशः—03 दिवस में कार्यवृत्त के आधार पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, जिसमें समूह गठन का लक्ष्य पूर्ण करने की रणनीति का भी स्पष्ट उल्लेख करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा मऊ)

क्रमशः.....4 पर

6. बांदा में 60 लक्ष्य के सापेक्ष 10 की प्रगति है। सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि 07 बैंकों में लम्बित हैं तथा शेष गठन की प्रक्रिया में है।

निर्गत निर्देशः—दिसम्बर, 2021 तक लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सीएमएम, डूडा बांदा)

7. अन्त में समस्त परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि समूह गठन एवं समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने का लक्ष्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैंकों से आ रही समस्याओं का समाधान लीड बैंक मैनेजर से समन्वय कर सुनिश्चित करायें एवं आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा को अवगत कराते हुए समस्या का समाधान करायें।

(कार्यवाही—समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा)

(ग) स्व—रोजगार कार्यक्रम (व्यक्तिगत ऋण)

1. स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण, एस0एच0जी0 बैंक लिंकिज की प्रगति निर्धारित मानक के अनुरूप न होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर के अन्त तक प्रत्येक दशा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित किया जाये।

2. जनपद रामपुर की प्रगति 22.22 प्रतिशत है, जिस पर सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु बैंकों को 12 दिसम्बर, 2021 तक का समय दिया गया है। लक्ष्य 90 के सापेक्ष 20 की प्रगति है तथा 175 आवेदन पत्र बैकों को प्रेषित किये गये हैं।

निर्गत निर्देशः—एम0आई0एस0 से अपडेट कराया जाये।

(कार्यवाही—सीएमएम, डूडा रामपुर)

3. जनपद कौशाम्बी में 25 का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 14 स्वीकृत है तथा 12 वितरित हो चुका है, परन्तु बैंकों के प्रबंधकों द्वारा उसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

निर्गत निर्देशः—01 सप्ताह के अन्दर विस्तृत विवरण प्राप्त कर एम0आई0एस0 पर अपलोड किया जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा कौशाम्बी)

4. जनपद सन्त कबीर नगर का लक्ष्य 35 है, जिसके सापेक्ष 07 की पूर्ति की गयी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 20 प्रतिशत है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। बैंकों को भेजे गये आवेदन पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 76 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गये हैं। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 12.12.2021 तक अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जायेगी।

5. जनपद बिजनौर का लक्ष्य 147 का है, जिसके सापेक्ष 47 की प्रगति की गयी है। सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 120 ऋण आवेदन पत्र बैकों को भेजे गये हैं, जिन्हें स्वीकृत/वितरित कराकर एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करा दिया जायेगा।

6. जनपद जालौन में 116 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 39 की प्रगति है, जो 33.62 प्रतिशत है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 290 आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किये गये हैं, जिन्हें शीघ्र ही वितरित कराकर एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करा दिया जायेगा।

क्रमशः.....5 पर

7. जनपद गाजीपुर में 15 दिवस की प्रगति शून्य पायी गयी, जिस पर सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि आज ही डाटा अपलोड किया गया है।

निर्गत निर्देशः—बैठक से पूर्व ही डाटा अपलोड करा दिया जाये।

(कार्यवाही—सीएमएम, डूडा गाजीपुर)

8. समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्रों को बैंको को भिजवाकर नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(कार्यवाही—समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा)

(घ) स्व—रोजगार कार्यक्रम (समूह ऋण)

1. जनपद अम्बेडकरनगर में विगत 15 दिवस की प्रगति शून्य पायी गयी, जिस पर शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि 03 दिन के अन्दर ऋण वितरण कराकर एमआईएस पर प्रविष्टि कर दी जायेगी।

2. जनपद अयोध्या में विगत 15 दिवस की प्रगति शून्य होने पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 02 आवेदन पत्र स्वीकृत हो चुके है, जो एम0आई0एस0 पर अपडेट नहीं है, जिस पर शीघ्र ही वितरित कराकर अपडेट करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा अयोध्या)

3. जनपद शाहजहॉपुर में भी 15 दिवस की प्रगति शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गये हैं।

निर्गत निर्देशः—सभी का इंटेन्ट शून्य दिख रहा है, इसे तत्काल अपडेट करा लें।

(कार्यवाही—समस्त परियोजना अधिकारी)

4. जनपद बागपत में 15 दिवस की प्रगति शून्य होने पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 के सापेक्ष 05 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गये हैं, जिस पर अपडेट कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा बागपत)

5. जनपद हापुड़ में 15 दिवस की प्रगति शून्य होने पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 के सापेक्ष 03 आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये है, जिनमें से 02 का ऋण वितरण इस हफ्ते करा दिया जायेगा।

निर्गत निर्देशः—ऋण वितरण के पश्चात् पोर्टल पर अपडेट करा दिया जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा हापुड़)

6. जनपद हरदोई के परियोजना अधिकारी, शहर मिशन प्रबन्धक वीसी में अनुपस्थित रहे, सामुदायिक आयोजक वीसी में उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा सका।

7. जनपद लखीमपुर खीरी में 15 दिवस की प्रगति शून्य होने पर सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि 02 के सापेक्ष 01 ऋण वितरित हो चुका है, जो पोर्टल पर परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिसकी एन्ट्री नहीं हो पा रही है, जिस पर सम्बन्धित एसएमएम को समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—सीएमएम, डूडा लखीमपुर खीरी)

क्रमशः.....6 पर

8. जनपद उन्नाव की 15 दिवस की प्रगति शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 04 आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये है, जिसे शीघ्र ही वितरित कराकर अपडेट किया जायेगा तथा 06 बैंकों में लम्बित है।

निर्गत निर्देशः—एक सप्ताह में ऋण वितरित कराकर अपडेट किया जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा उन्नाव)

9. जनपद गोरखपुर में लक्ष्य 04 के सापेक्ष विगत 15 दिवस की प्रगति शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 04 आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये है, जिसमें से 02 आवेदन पत्र एक सप्ताह में स्वीकृत करा दिये जायेगें।

10. जनपद झांसी की प्रगति विगत 15 दिवस में शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लक्ष्य 03 के सापेक्ष 04 आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये है, जिनमें से 02 आवेदन पत्र एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत करा दिये जायेगें।

11. इसके अतिरिक्त निर्देश दिये गये कि जिनका इंटेन्ट शून्य है, वह अपडेट करा लें। यदि आगामी बैठक से पूर्व आपका इन्टेन्ट अपडेट नहीं होगा, तो उसे नहीं माना जायेगा।

(कार्यवाही—समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा)

(ड.) स्व—रोजगार कार्यक्रम (एसएचजी बैंक लिंकेज)

1. जनपद कानपुर नगर में लक्ष्य 315 के सापेक्ष प्रगति शून्य है, जिस पर सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिला सहकारी बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक एवं मर्केन्टाइल बैंक में खाते खुले हुए हैं, लेकिन इन बैंकों से लिंकेज के ऋण वितरित कराने में सहयोग नहीं मिल रहा है।

निर्गत निर्देशः—यदि इन बैंको द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो अन्य बैंकों में खाता खुलवाकर लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। सहायक परियोजना अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें लक्ष्य पूर्ति हेतु रणनीति का भी उल्लेख किया जाये।

(कार्यवाही—सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा कानपुर नगर)

2. जनपद झांसी में लक्ष्य 66 के सापेक्ष प्रगति शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 19 आवेदन पत्र बैंकों को भेज दिये गये हैं, जिसमें से 02 स्वीकृत हो चुके हैं तथा 1—2 दिवस में वितरित हो जायेगा।

निर्गत निर्देशः—लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र बैंको प्रेषित किये जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा झांसी)

3. जनपद गोरखपुर में लक्ष्य 86 के सापेक्ष 02 की प्रगति है, परन्तु 15 दिवस में प्रगति शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये जा रहे हैं।

निर्गत निर्देशः—अभी लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, इसलिए लक्ष्य पूर्ण करने हेतु रणनीति बनायी जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा गोरखपुर)

क्रमशः.....7 पर

4. जनपद गाजियाबाद में लक्ष्य 257 के सापेक्ष मात्र 07 की प्रगति है। विगत 15 दिवस में 02 की प्रगति है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 110 आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये हैं, जिसमें से 28 स्वीकृत हो चुके हैं।

निर्गत निर्देशः—शीघ्र ही स्वीकृत आवेदन पत्रों को वितरित कराकर एमआईएस पर अपडेट किया जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा गाजियाबाद)

5. जनपद मुरादाबाद में लक्ष्य 103 के सापेक्ष विगत 15 दिवस में 04 की प्रगति की गयी है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 47 आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसमें से 04 शीघ्र ही स्वीकृत हो जायेगा।

निर्गत निर्देशः—अवशेष 43 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराया जाये। साथ ही और आवेदन पत्र भी बैंकों को प्रेषित किये जायें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा मुरादाबाद)

6. जनपद अलीगढ़ में लक्ष्य 123 के सापेक्ष प्रगति 07 है, जबकि 15 दिवस की प्रगति शून्य है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 118 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये हैं।

निर्गत निर्देशः—प्रेषित आवेदन पत्रों को शीघ्र ही स्वीकृत कराते हुए वितरित कराये जाये।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा अलीगढ़)

7. जनपद फिरोजाबाद में लक्ष्य 103 के सापेक्ष प्रगति 08 है, जबकि 15 दिवस की प्रगति 05 है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 55 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें 21 स्वीकृत हो चुके हैं तथा 05 वितरित हो चुके हैं। इस सप्ताह भी 05 वितरित हो जायेगे।

निर्गत निर्देशः—सभी स्वीकृत आवेदन पत्रों को वितरित करा दें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा फिरोजाबाद)

8. एसएमएम श्री ओ0के0 सिंह को निर्देशित किया गया कि शून्य इंटेन्ट वाले तथा जिन जनपदों की प्रगति कम है, उनको पत्र प्रेषित किया जाये। सभी परियोजना अधिकारियों से लिखित से ले लिया जाये कि कितने आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये हैं।

निर्गत निर्देशः—बैठक हो या न हो, प्रत्येक सप्ताह की प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही—ओ0के0 सिंह, एसएमएम, सूडा)

(च) शहरी बेघरों हेतु आश्रय गृह

1. मिशन के अन्तर्गत संचालित आश्रय गृहों की समीक्षा की गयी एवं निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों द्वारा अपनी आख्या का परीक्षण अभिकरण मुख्यालय से करा लिया गया है, वे सभी जनपद आश्रय गृह के संचालन हेतु आगामी किश्तों के अवमुक्त हेतु पत्रांक—2901 दिनांक 22.11.2021 के अनुक्रम में निर्धारित प्रपत्र पर सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक के माध्यम से प्रमाणित अभिलेखों सहित आवश्यकता का आंकलन कर नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन जनपदों ने अद्यतन परीक्षण नहीं कराया है वे भी आवश्यकतानुसार परीक्षण कराकर अनुपालन आख्या एवं मांग पत्र दिनांक 06.12.2021 तक उपलब्ध करायें तथा कार्य समय से पूरा कर लें।

क्रमशः.....8 पर

2. परियोजना अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आश्रय गृह में निरीक्षण पंजिका में निरीक्षणकर्ताओं द्वारा अपनी टीप अवश्य अंकित की जाये। निरीक्षण पंजिका आश्रय गृह के संचालन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसको निरीक्षण हेतु आने वाले सभी अधिकारियों को अवश्य दिखाकर उनकी टीप को अंकित कराना सुनिश्चित करें।

3. आश्रय गृह में आश्रय लेने वाले शहरी बेघरों का पंजिका में सुचारू रूप से विवरण अंकित कराया जाये। आश्रय गृह की सम्बद्धता कालेजों से किये जाने के निर्देश हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालन आख्या में कालेज के विद्यार्थियों द्वारा किये गये भ्रमण, दिये गये सुझाव एवं सुझाव के अनुपालन की आख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये। साथ ही भ्रमण के फोटोग्राफ भी संरक्षित रखे जाये। छात्रों को आश्रय गृह की उपयोगिता एवं महत्वता के बारे में संवेदित करते हुए जागरूक किया जाये तथा उनसे कहा जाये कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के खुले में सोते हुए पाए जाने पर उन्हें आश्रय गृह की जानकारी देकर आश्रय में भेजने हेतु प्रेरित करें, ताकि सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

4. आश्रय लेने वाले बेघर श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में अवश्य कराया जाये, ताकि श्रमिक उनकी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इसका उल्लेख सत्यापित अनुपालन आख्या में भी स्पष्ट रूप से किया जाये।

5. आश्रय लेने वाले बेघरों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किये जाने के निर्गत निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा लाभान्वित किये गये व्यक्तियों का योजनावार विवरण भी अनुपालन आख्या में अंकित किया जाये।

6. सभी परियोजना अधिकारियों द्वारा आश्रय गृहों का भ्रमण कर अपनी टीप निरीक्षण पंजिका में अंकित की जाये।

(छ) <u>कौशल प्रशिक्षण</u>

1. कौशल प्रशिक्षण में 43 सिटी को लक्ष्य आवंटित किया गया है। बलरामपुर, मथुरा, हरदोई एवं बदायूं में पाठ्यक्रम का चयन नहीं किया गया है, जबकि एक माह हो गया है। स्मार्ट सेन्टर तैयार होना है तथा चेक किया जाना है।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा बलरामपुर, मथुरा, हरदोई एवं बदायूं)

(ज) <u>माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना</u>

1. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपर निदेशक, सूडा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस योजना से सम्बन्धित किसी भी समस्या के लिए अपर निदेशक, सूडा से सम्पर्क किया जा सकता है।

2. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना के अन्तर्गत सीड कैपिटल हेतु पोर्टल पर आवेदन न करने वाले 18 जनपदों (अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर, इटावा, गाजीपुर, कन्नौज, कुशीनगर, ललितपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सम्भल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर एवं शामली) को निर्देश दिये गये कि तत्काल चिन्हित समूह/समूह सदस्यों को सीट कैपिटल से लाभान्वित किये जाने आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर, इटावा, गाजीपुर, कन्नौज, कुशीनगर, ललितपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सम्भल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर एवं शामली)

क्रमशः.....9 पर

3. सभी जनपद चिन्हित समूहों/समूह सदस्यों को सीड कैपिटल से लाभान्वित किये जाने हेतु सुचारू रूप से दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूपों पर निम्नानुसार आवेदन कराना सुनिश्चित करेगें:–
   - व्यक्तिगत समूह सदस्य/एक ही समूह के कई सदस्य/विभिन्न समूहों के कई सदस्यों हेतु दिशा निर्देशों में अलग–अलग सामान्य जानकारी के प्रारूप पर आवेदन करने का प्राविधान है, जिसके अनुसार ही आवेदन किया जायेगा।
   - सामान्य जानकारी के प्रारूप में स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बिक्री के अनुसार टर्न ओवर का अंकन प्रारूप में कर हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित की जायेगी।
   - व्यक्तिगत समूह सदस्य का हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक का फोटोग्राफ अपलोड होगा।
   - एक ही समूह के कई सदस्य/विभिन्न समूहों के सदस्यों के आवेदन प्रपत्र पर कार्यकारी समूह के मुख्य कार्यकारी का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के साथ फार्म अपलोड किया जाएगा।
   - सभी फार्मों पर स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों द्वारा सामान्य जानकारी प्रपत्र के अन्त में अण्डरटेकिंग हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ की जायेगी।
   - सभी आवेदनों में माइक्रो इण्टरप्राइज का विवरण हेतु फार्म–2 (19 कॉलम) का भरा जायेगा तथा इण्टरप्राइज स्थल के फोटोग्राफ भी अपलोड किये जायेगें। उक्त फार्म भी आवेदनकर्ता/आवेदनकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपलोड किये जायेगें।

उक्त के साथ ही दोनों आवेदन प्रपत्रों को भलीं–भाँति सुचारू रूप से भरकर शहर मिशन प्रबंधकों द्वारा तैयार कर अपलोड किया जायेगा तथा शहर मिशन प्रबंधक एवं परियोजना अधिकारी द्वारा नामयुक्त मुहर सहित हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जायेगा कि फार्म में भरी गयी जानकारी सही है।

<u>पी0एम0 स्वनिधि:–</u>

1. जनपद लखनऊ द्वारा स्वनिधि योजनान्तर्गत 1,02,063 स्ट्रीट वेण्डर्स को योजना से जोड़ा गया है। विगत 15 दिवस में लखनऊ द्वारा काफी अच्छी प्रगति की गयी है।
2. जनपद प्रयागराज की प्रगति धीमी है, जिस पर निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आवेदन कराया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा प्रयागराज)

3. जनपद आगरा द्वारा भी प्रयास किया गया है, परन्तु अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। पात्र लाभार्थियों को योजना में आवेदन कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा आगरा)

4. जनपद गाजियाबाद द्वारा श्रम योगी मानदेय योजना में कम कार्य किया गया है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में बैठक करायी गयी है, शीघ्र ही पूरा कर लेगें।
5. जनपद बरेली की प्रगति काफी पीछे है। 51000 में से मात्र 6000 को ही आवेदन कराया गया है। इस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रगति बढ़ाये जाने हेतु निरन्तर बैठक की जा रही है।

<u>निर्गत निर्देश</u>:–यदि आवेदन नहीं कराया जायेगा तो स्वीकृत कैसे होगा, इसलिए अधिक से अधिक आवेदन कराया जाये। यदि प्रगति नहीं आयी, तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा बरेलीं)

क्रमशः.....10 पर

6. जनपद मेरठ में 78000 में से 7993 का ही आवेदन कराया गया है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक हफ्ते में वांछित प्रगति आ जायेगी।

निर्गत निर्देशः—अधिक संख्या में आवेदन कराते हुए स्वीकृत कराया जाये। यदि प्रगति नहीं आयी, तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा मेरठ)

7. जनपद कानपुर में 226102 में से 13977 का ही आवेदन कराया गया है, जिसमें से 4815 स्वीकृत है, जो कि बहुत कम है।

निर्गत निर्देशः—प्रगति संतोषजनक नहीं है। यदि प्रगति नहीं आयी, तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा कानपुर)

8. मुरादाबाद में 45000 में से 6000 का ही आवेदन कराया गया है, जिसमें से 1418 स्वीकृत है, जो कि बहुत कम है।

निर्गत निर्देशः—प्रगति संतोषजनक नहीं है। यदि प्रगति नहीं आयी, तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा मुरादाबाद)

9. 14 नगर निगम शहरों में 6 से 11 दिसम्बर, 2021 के मध्य स्वनिधि समृद्धि कैम्प प्रस्तावित हैं। निर्देशित किया गया कि इन कैम्पों में सभी 14 शहर अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवारों को अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):—

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खाता खोले जाने, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र, 51वी सीएसएमसी तक स्वीकृत परियोजनाओं में अपात्रों का करटेलमेन्ट किये जाने एवं लम्बित प्रथम किश्त के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा निम्न निर्देश दिये गयेः—

1. जनपद अमेठी एवं गोण्डा के परियोजना अधिकारी द्वारा एसएनए का खाता खोले जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा पदनाम से खाता खोले जाने के निर्देश दिये हैं, जिस पर कार्यक्रम अधिकारी को एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधि से वार्ता करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, परियोजना अधिकारी, डूडा अमेठी एवं गोण्डा)

2. 32 जनपदों की 157 परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र अभी भी लम्बित हैं, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 02 दिवस के अन्दर अधिक से अधिक अवशेष परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा से हस्ताक्षरित कराते हुए सूडा को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा बिजनौर, बदायूं, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मऊ, मैनपुरी, बागपत, गाजियाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, गाजीपुर, महोबा, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, सोनभद्र, बुलन्दशहर, गोण्डा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सीतापुर, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, उन्नाव)

क्रमशः.....11 पर

3. जनपद बदायूँ के सीएमएम द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना अधिकारी अवकाश पर हैं। कुल 19 सर्टिफिकेट लम्बित हैं। जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि पहले अधिशासी अधिकारी जाँच करके हस्ताक्षर करेगें। अधिशासी अधिकारी द्वारा 12 सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करके उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा 07 अभी लम्बित हैं।

निर्गत निर्देशः—12 सर्टिफिकेट पर तत्काल नियमानुसार हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा बदायूँ)

4. जनपद मऊ के सीएलटीसी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर से पूर्व करायी गयी संयुक्त जांच में कुछ आवासों में शौचालय पूर्ण नहीं पाये गये तथा कतिपय आवासों में कुछ कमियाँ पायी गयी। सभी को तृतीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है, फिर भी लाभार्थी द्वारा अपना आवास पूर्ण नहीं किया गया। 02 परियोजनाओं के आवासों में पायी गयी कमियों को दूर करा दिया गया है।

निर्गत निर्देशः—02 परियोजनाओं के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट तत्काल हस्ताक्षर कराते हुए उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—सहायक परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी इंजीनियर, डूडा मऊ)

5. जनपद अम्बेडकर नगर के सीएलटीसी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच पूर्ण होने के पश्चात् ही सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाना सम्भव होगा।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, डूडा अम्बेडकर नगर)

6. जनपद बिजनौर के सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा 05 परियोजनाओं में आपत्ति लगायी गयी है, वह दूर कर दी गयी है, जिस पर 05 परियोजनाओं के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिनांक 03.12.2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—सहायक परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी इंजीनियर, डूडा बिजनौर)

7. जनपद मैनपुरी के सीएलटीसी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है, जो 1—2 दिन में पूर्ण हो जायेगी। निर्देश दिये गये शीघ्र जाँच पूर्ण कराकर जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराते हुए तत्काल सर्टिफिकेट उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी इंजीनियर, डूडा मैनपुरी)

8. जनपद जौनपुर के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सर्टिफिकेट पर परियोजना निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट लगाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश दिये गये कि अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट लगवाकर जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर तत्काल सर्टिफिकेट उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी इंजीनियर, डूडा जौनपुर)

9. जनपद लखीमपुर खीरी के सीएलटीसी इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा 23 परियोजनाओं को तहसील से 20 प्रतिशत रैण्डम जाँच कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस पर निर्देशित किया गया कि पहले छोटे परियोजनाओं की जाँच करा लें तथा जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुए तत्काल उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी इंजीनियर, डूडा लखीमपुर खीरी)

क्रमशः.....12 पर

10. जिन जनपदों में डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को डिबार किया गया है, उन जनपदों में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–483 दिनांक 04.09.2018 के क्रम में अन्य कन्सलटेन्ट का चयन करने के निर्देश दिये गये। यह भी अवगत कराया गया कि जिन जनपदों में 25 प्रतिशत से अधिक करटेलमेन्ट हैं, उन जनपदों में तत्समय कार्यरत परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उप–समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं। कुछ परियोजनाओं में तो 50 प्रतिशत तक करटेलमेन्ट हैं। अतः परीक्षणोपरान्त ही डीपीआर प्रेषित किया जाये।

11. नगर निकाय में स्वीकृत सभी परियोजनाओं में करटेलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण करते हुए HFA Achieve किया जाना है। सभी पुरानी स्वीकृत परियोजनाओं को तत्काल पूर्ण करायें। जनपद बिजनौर व महाराजगंज में पुरानी डीपीआर के लाभार्थी को अभी तक प्रथम किश्त नहीं की गयी थी।

निर्गत निर्देशः–सम्बन्धित परियोजना अधिकारी पुरानी डीपीआर के लाभार्थी को अभी तक प्रथम किश्त अवमुक्त नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सूडा मुख्यालय को लिखित में अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा बिजनौर व महाराजगंज)

12. सभी परियोजना अधिकारियों एवं सीएलटीसी इंजीनियर्स को निर्देश दिये गये कि 51वी सीएसएमसी तक स्वीकृत सभी परियोजनाओं का करटेलमेन्ट अधिकतम एक माह में अवश्य कर दें तथा अवशेष सभी पात्र लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान करा दें। सीएसएमसी का कार्यवृत्त आने तक Substitution की डीपीआर की एन्ट्री फीड कर लें, फिर अटैचमेन्ट करा दें।

(कार्यवाही–समस्त परियोजना अधिकारी व समस्त सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर्स)

13. अपात्र एवं डबल भुगतान के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर 10 दिवस में सूचना प्रेषित करने हेतु अभिकरण के पत्रांक–2558/03/29/HFA-DPR/PMC-Vol-IX/2021–22 दिनांक 25.10.2021 से पत्र प्रेषित किया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 09.11.2021 की समीक्षा बैठक में भी अपात्र एवं डबल भुगतान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी तक मात्र 04 जनपदों (हमीरपुर, सीतापुर, मथुरा एवं लखनऊ) द्वारा ही सूचना उपलब्ध करायी गयी है। सभी शेष जनपदों को एक सप्ताह के अन्दर डाटा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। डाटा प्राप्त होने तक सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–वित्त नियन्त्रक, सूडा व सम्बन्धित परियोजना अधिकारी)

14. जिन जनपदों को अपात्रों के जिओ टैग डिलीट कराने हैं, उन जनपदों के परियोजना अधिकारी अपने हस्ताक्षर से परियोजना का विवरण एवं बैनिफिशियरी आई0डी0 के साथ दिनांक 20.12.2021 तक प्रत्येक दशा में पत्र प्रेषित कर दें।

(कार्यवाही–समस्त परियोजना अधिकारी)

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

17.12.21

(यशु रूस्तगी)
निदेशक

संख्याः–3258/01/तीस/कार्यक्रम–Vol-VII/2021–22 दिनांकः– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. वित्त नियन्त्रक, सूडा, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
4. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
5. परियोजना अधिकारी, एन0यू0एल0एम0, सूडा, लखनऊ।
6. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

17.12.21
(यशु रूस्तगी)
निदेशक

17-12-2021